R. GRAND

उ0 आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष: 0522–2284880, 2627021,
फैक्स: 0522–2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.i

संख्या: 311 /आ0ब0–1/स0आ0यो0–डी.पी.आर./2016 लखनऊ दिनाँक: 9 जून, 2016

प्रेषक,

एस0 के0 श्रीवास्तव,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ0प्र0।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

विषय: अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना" हेतु M/S Ratan Housing Development Limited, Kanpur द्वारा प्रस्तुत परियोजना "Ratan Grand" की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत **M/S Ratan Housing Development Limited, Kanpur** द्वारा ग्राम–बैदानी, परगना व तहसील–बिल्हौर जिला–कानपुर के खसरा नम्बर–719 से 731, 747 से 749, 753 एवं 757 के अन्तर्गत **"Ratan Grand"** नामक परियोजना आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत की गयी थी। सम्बन्धित योजना को समाजवादी आवास योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 73/2965/आठ–1–14–34 बैठकं/2014 दिनांक 12.12.2014 एवं शासनादेश संख्या: 74/3492/08–1–14–34 बैठक/2014 दिनांक 12.12.2014 के अनुपालन में परीक्षणोंपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 03.06.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है:–

1. समाजवादी आवास योजना की नीति निर्देशिका (अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नीति का निर्धारण) के धारा–8 के सभी उपबन्धों का अनुपालन विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

2. योजना के विकास एवं निर्माण कार्य अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा ले–आउट प्लान की स्वीकृति के समय प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बन्धित शासकीय अभिकरण के साथ 'डेवल्पमेन्ट एग्रीमेन्ट' एवं 'परफार्मेन्स गारन्टी' का निष्पादन किया जायेगा।

3. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास एवं निर्माण कार्य 05 वर्ष में पूर्ण करने होगें तथा योजना का कियान्वयन डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब होने पर अपरिहार्य परिस्थितियों में विकासकर्ता के अनुरोध पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु "केस–टू–केस" के अधार पर अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

4. अफोर्डेबल हाउसिंग का अधिकतम मूल्य सभी टैक्सों एवं सेवाओं को जोड़ते हुए धनांक रू.30.00 लाख से अधिक नहीं होगा।

क्रमश:..............2

सम्बन्धित परियोजना कानपुर विकास प्राधिकरण सीमा अथवा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। **शासनादेश संख्याः 73/2965/आठ–1–14–34बैठक/2014** दिनांक **12.12.2014 द्वारा अफोर्डेबल हाउसिग के लिए नीति का निर्धारण किया गया है। नीति के पैरा–4.5 में निम्न प्राविधान है "अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाएं न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कियान्वित की जाएंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास एवं विकास परिषद द्वारा "फैसिलीटेटर' एवं 'रेगुलेटर" की भूमिका निभाई जाएगी"।**

उक्त के कम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत **"Ratan Grand"** नामक अनुमोदित परियोजना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित परियोजना के सम्बन्ध में "फैसिलीटेटर' एवं 'रेगुलेटर" की भूमिका सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित डी0पी0आर0 की हार्डकापी एवं सॉफ्टकापी।

भवदीय,

(एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक (आवास बन्धु)/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को तदनुसार अवलोकनार्थ।
2. M/S Ratan Housing Development Limited, 113/70, Swaroop Nagar, Kanpur.

(एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक